

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 40/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
भरतपुर।

आवेदक

बनाम

बल्लू पुत्र हुकमसिंह बघेल उम्र 32 वर्ष (खाद्य कारोवारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स बल्लू मिष्ठान
भण्डार, इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास सेवर, भरतपुर निवासी ग्राम कछियारा बिडार पो0 सिकरोदा
तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 08.12.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स
2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को
जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 08.12.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

उक्त रात हुये गैरसायल को इस्तनासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 18.02.2021 को प्रात 11.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स बब्लू मिष्ठान भण्डार, इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास, सेवर भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तनासा के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक के एक टब में 50 किग्रा 0 छैना मिठाई (रसगुल्ला) रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/161/एक्ट/2021/338 दिनांक 08.03.2021 द्वारा उक्त छैना मिठाई (रसगुल्ला) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का छैना मिठाई (रसगुल्ला) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।


आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स बब्लू मिष्ठान भण्डार, इण्डियन पेट्रोल पम्प के पास सेवर से छैना मिठाई (रसगुल्ला) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त छैना मिठाई (रसगुल्ला) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त छैना (रसगुल्ला) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया।

दिनांक 18.02.2020 को प्रात 11.30 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु छैना मिठाई (रसगुल्ला) करीब 50 किग्रा 0 रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर

की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/161/एक्ट/2021/338 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा उक्त छैना मिठाई (रसगुल्ला) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Test for added Starch का मानक Neagative होना चाहिये था परन्तु इसका मानक Positive पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडैक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 15000/-रूपये (पन्द्रह हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर